रजि. सं. डी. एल.-33001/97 REGISTRED No. DL-33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 13, 1997/अग्रहायण 22, 1919
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 13, 1997/AGRAHAYANA 22, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rule (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the General Authorities (other than the Administration of Union Territories)

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1997

सा०का०नि० 394.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती सेवा की शर्तें) नियम, 1976 का और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1997 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976 की अनुसूची 1 में :—

(क) उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित कालम संख्या 31 के सामने :—

(i) स्तम्भ 3 में अन्तर्विष्ट प्रविष्टि "पच्चीस" के स्थान पर प्रविष्टि "पैंतीस" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) स्तम्भ 12 में "प्रोन्नति द्वारा" शब्दों के स्थान पर "75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 25 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) स्तम्भ 13 में "कम-से-कम 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले अवर श्रेणी लिपिकों की प्रोन्नति द्वारा" शब्दों तथा अंक के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(क) 75 प्रतिशत पद अवर श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में कम-से-कम 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले अवर श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति द्वारा, परन्तु ऐसा न होने की स्थिति में

राष्ट्रपति सचिवालय उच्च श्रेणी लिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा विनियम, 1997 के अनुसार संचालित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा; और

(ख) 25 प्रतिशत ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों की प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में कम-से-कम पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, तथा जिन्हें उच्च श्रेणी लिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा विनियम, 1997 के अनुसार संचालित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयनित किया गया है।"

(ख) अवर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 34 के सामने स्तम्भ 3 में अन्तर्निष्ट प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "छत्तीस" प्रतिस्थापित की जाएगी।

[सं० ए-35011/13/96-स्था०]

ए० सेमुअल, अवर सचिव (स्था०)

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. संख्या 275(अ) तारीख 1 अप्रैल, 1976, द्वारा अधिसूचित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	राजपत्र अधिसूचना की संख्या तथा तिथि संबंधी विवरण
1. ए-35022/1/76-प्रशा., तारीख 25-7-79	1. सा.का.नि. सं. 1148, तारीख 15-9-79
2. ए-35022/1/76-प्रशा., तारीख 18-4-81	2. सा.का.नि. सं. 450, तारीख 9-5-81
3. ए-35011/12/81-प्रशा., तारीख 10-6-81	3. सा.का.नि. सं. 633, तारीख 11-7-81
4. ए-35011/12/81-प्रशा., तारीख 23-5-84	4. सा.का.नि. सं. 562, तारीख 9-6-84
5. ए-35011/12/81-प्रशा., तारीख 9-8-35	5. सा.का.नि. सं. 809, तारीख 31-8-85
6. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 8-1-86	6. सा.का.नि.सं. 77, तारीख 1-2-86
7. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 8-1-86	7 सा.का.नि. सं. 78, तारीख 1-2-86
8. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 26-12-88	8 सा.का.नि. स. 1205 (अ), तारीख 26-12-88
9. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 1-7-89	9. सा.का.नि. सं. 667 (अ), तारीख 1-7-89
10. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 15-2-90	10 सा.का.नि. सं. 76 (अ), तारीख 15-2-90
11. ए-35011/35/86-प्रशा., तारीख 15-2-90	11. सा.का.नि. स. 77(अ), तारीख 15-2-90
12. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 16-5-90	12. सा.का.नि. सं. 502(अ), तारीख 17-5-90
13. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 30-5-90	13. सा.का.नि. सं. 538(अ), तारीख 1-6-90
14. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 13-8-90	14. सा.का.नि. सं. 707(अ), तारीख 16-8-90
15. ए-16011/1/86-प्रशा., तारीख 13-8-90	15. सा.का.नि. सं. 560, तारीख 1-9-90
16. ए-35011/1/86-प्रशा., तारीख 10-12-90	16. सा.का.नि. सं. 753, तारीख 22-12-90
17. ए-12015/2/91-प्रशा., तारीख 11-6-91	17. सा.का.नि. सं. 306(अ), तारीख 11-6-91
18. ए-12015/2/91-प्रशा., तारीख 29-4-92	18. सा.का.नि. सं. 442(अ), तारीख 29-4-92
19. ए-12015/2/91-प्रशा., तारीख 13-4-94	19. सा.का.नि. सं. 384(अ) तारीख 13-4-94
20. ए-11015/8/91-प्रशा., तारीख 27-7-95	20. सा.का.नि. सं. 565(अ) तारीख 27-7-95
21. ए-35011/13/96-प्रशा., तारीख 23-5-96	21. सा.का.नि. सं. 224(अ), तारीख 23-5-96
22. ए-35011/13/96-प्रशा., तारीख 17-7-97	22. सा.का.नि. सं. 396(अ). तारीख 17-7-96

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 2nd December, 1997

G.S.R. 394.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Services) Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1976,—

(a) against serial number 31 relating to the post of Upper Division Clerk—

(i) in column 3, for the entry "Twenty five", the entry "Thirty five" shall be substituted;

(ii) in column 12, for the words "By promotion", the words and figures "75 percent by promotion and 25 per cent by Limited Departmental Competitive Examination" shall be substituted;

(iii) in column 13, for the words and figures "By promotion of Lower Division Clerks with at least 5 years' regular service", the following words and figures shall be substituted, namely :—

"(a) 75 per cent, by promotion from amongst Lower Division Clerks (who have rendered at least eight years regular service in the grade, failing which by a Limited Departmental Competitive Examination conducted in accordance with the President's Secretariat Upper Division Clerks Limited Departmental Competitive Examination Regulations 1997; and

(b) 25 per cent, by promotion of Lower Division Clerks who have rendered atleast five years regular service in the grade and selected through a Limited Departmental Competitive Examination conducted in accordance with the President's Secretariat Upper Division Clerks Limited Departmental Competitive Examination Regulations, 1997".

(b) against serial number 34 relating to the post of Lower Division Clerk, for the entry under column 3, the entry "Thirty Six" shall be substituted.

[No. A-35011/13/96-Admn.I]

A. SAMUEL, Under secy. (Admn.)

Note :—The principal rules were notified vide G.S.R. No. 275(E) dated the 1st April, 1976 and subsequently amended vide :

Sl. No.	Number and date of Notification	Particulars of Gazette Notification No. & Date
1	2	3
1.	A-35022/1/76-Adm. dt. 25-7-79	G.S.R. No. 1148 dt. 15-9-79
2.	A-35022/1/76-Adm. dt. 18-4-81	G.S.R. No. 450 dt. 9-5-81
3.	A-35011/12/81-Adm. dt. 10-6-81	G.S.R. No. 633 dt. 11-7-81
4.	A-35011/12/81 Adm. dt. 23-5-84	G.S.R. No. 562 dt. 9-6-84
5.	A-35011/12/81-Adm. dt. 9-8-85	G.S.R. No. 809 dt. 31-8-85
6.	A-35011/1/86-Adm. dt. 8-1-86	G.S.R. No. 77 dt. 1-2.86
7.	A-35011/1/86-Adm. Dt. 8-1-86	G.S.R. No. 78 dt. 1-2-86
8.	A-35011/1/86-Adm. dt. 26-12-88	G.S.R. No. 1205 (E) dt. 26-12-88
9.	A-35011/1/86-Adm. dt. 1-7-89	G.S.R. No. 667 (E) dt. 1-7-89
10.	A-35011/1/86-Adm. dt. 15-2-90	G.S.R. No. 76 ((E) dt. 15-2-90
11.	A-35011/1/86-Adm, dt. 15-2-90	G.S.R. No. 77 (E) dt. 15-2-90
12.	A-35011/1/86-Adm. dt. 16-5-90	G.S.R. No. 502 (E) dt. 17-5-90
13.	A-35011/1/86-Adm. dt. 30-5-90	G.S.R. No. 538 (E) dt. 1-6-90
14.	A-35011/1/86-Adm. dt. 13-8-90	G.S.R. No. 707 (E) dt. 16-8-90
15.	A-16011/1/86-Adm. dt. 13-8-90	G.S.R. No. 560 dt. 1-9-90

1	2	3
16.	A-35011/1/86-Adm. dt. 10-12-90	G.S.R. No. 753 dt. 22-12-90
17.	A-12015/2/91-Adm. dt. 11-6-91	G.S.R. No. 306 (E) dt. 11-6-91
18.	A-12015/2/91-Adm. dt. 29-4-92	G.S.R. No. 442 (E) dt. 29-4-92
19.	A-12015/2/91-Adm. dt. 13-4-94	G.S.R. No. 384 (E) dt. 13-4-94
20.	A-11015/8/91-Adm. dt. 27-7-95	G.S.R. No. 565 (E) dt. 27-7-95
21.	A-35011/13/96-Adm. dt. 23-5-96	G.S.R. No. 224 (E) dt. 23-5-96
22.	A-35011/13/96-Adm. dt. 17-7-97	G.S.R. No. 396 (E) dt. 17-7-97

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1997

सा०का०नि० 395.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976 की अनुसूची I में क्रम संख्या 31 के सामने स्तम्भ 13 के अन्तर्गत प्रविष्टि के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन विनियमों का नाम राष्ट्रपति सचिवालय उच्च श्रेणी लिपिक (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम 1997 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "निर्णायक तिथि" से उस कलैण्डर वर्ष के जनवरी मास की पहली तारीख अभिप्रेत है, जिसमें परीक्षा का होना अधिसूचित किया गया है,

(ख) "परीक्षा" से नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा अथवा इस विषय में उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी प्राधिकारी द्वारा ली जाने वाली अर्हक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त अन्य ऐसे सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु जो राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976 में परिभाषित है, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें इन नियमों में प्रदान किये गये हैं।

3. परीक्षा का आयोजन :—

(1) यह परीक्षा राष्ट्रपति सचिवालय में उच्च श्रेणी लिपिकों के नियुक्ति प्राधिकारी अथवा इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा ली जाएगी।

(2) यह परीक्षा वित्तीय वर्ष में रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिए उसी वित्तीय वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी।

(3) परीक्षा की तारीख (तारीखों), समय और स्थान का निर्धारण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

4. परीक्षा में बैठने की अर्हता संबंधी शर्तें :—

(1) स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त ऐसे अवर श्रेणी लिपिक, जिन्होंने निर्णायक तिथि को 5 वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, इस इस परीक्षा में बैठ सकेंगे।

(2) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक, जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों, भी यदि वे इसके लिये अन्यथा पात्र हों, इस परीक्षा में बैठ सकेंगे।

(3) ऐसा अवर श्रेणी लिपिक, जिसे स्थानांतरण के आधार पर किसी संवर्ग-बाह्य पद अथवा किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है तथा राष्ट्रपति सचिवालय के अवर श्रेणी ग्रेड में उसका धारणाधिकार नहीं है तो वह उस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा।

5. आयु :—

ऐसा कोई भी अवर श्रेणी लिपिक, जिसकी आयु निर्णायक तिथि को 50 वर्ष से अधिक है, इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा।

6. (1) परीक्षा निम्न योजना के अनुसार संचालित होगी :—

भाग 1 :— उप विनियम (2) में बताए गए विषयों में अधिकतम 300 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग 2 :—जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रिक्तियों की संख्या को देखते हुए निर्धारित किया गया न्यूनतम अर्हक स्तर प्राप्त कर लिया हो, उनके सेवा-वृत्तों का मूल्यांकन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा। सेवा वृत्त के लिए अधिकतम अंक 100 होंगे।

(2) लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए अधिकतम अंक तथा समय निम्नानुसार होंगे :—

विषय	अधिकतम अंक	समय
1	2	3
प्रश्न पत्र 1 : (वस्तुनिष्ठ प्रकार)		
(क) सामान्य ज्ञान 100 प्रश्न		
(ख) अंग्रेजी भाषा का परिज्ञान तथा लेखन योग्यता 100 प्रश्न	200	2 घंटे
प्रश्न पत्र–II टिप्पण, प्रारूपण तथा कार्यालय पद्धति	100	2 घण्टे

प्रश्न पत्र 1 वस्तुनिष्ठ–बहुविकल्प प्रकार का होगा, जबकि प्रश्न पत्र II वर्णनात्मक प्रकार का होगा।

(3) परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दिए गए विनियम 7 के अनुसार होगा ।

टिप्पण 1 : अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र II में टिप्पण, आलेखन तथा कार्यालय पद्धति के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प प्राप्त है ।

टिप्पण 2 : यह विकल्प पूरे प्रश्न-पत्र के लिए होगा न कि एक ही प्रश्न पत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिए। अभ्यार्थी ऐसी निर्धारित तिथि तक, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की गई हो, यह बताएंगे कि वे प्रश्न पत्र के उत्तर अंग्रेजी में देना चाहेंगे अथवा हिन्दी में ।

(4) परीक्षा के सभी विषयों में, कम शब्दों में की गई क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण और सटीक अभिव्यक्ति को मान्यता दी जायेगी ।

7. परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण निम्नानुसार होगा :—

प्रश्न-पत्र 1 :—(क) सामान्य ज्ञान : प्रश्न अभ्यार्थियों के आस-पास के पर्यावरण के संबंध में उनके सामान्य ज्ञान तथा समाज के संदर्भ में उसके अनुप्रयोग के संबंध में अभ्यर्थी की योग्यता की जांच करने के लिए पूछे जायेंगे । सामयिक घटनाओं और प्रतिदिन व्यवहार में आने वाले विषयों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में भी अभ्यर्थियों के ज्ञान की जांच करने हेतु ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनकी एक शिक्षित व्यक्ति को जानकारी होना अपेक्षित है । इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ौसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य राज-व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे ।

(ख) अंग्रेजी भाषा का विज्ञान तथा लेखन योग्यता: परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे अंग्रेजी भाषा शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, वाक्य पूरा करने, वाक्यांश, शब्दों के मुहावरेदार प्रयोग आदि के संबंध में अभ्यर्थी के विवेक तथा ज्ञान को आंका जा सके। इसमें एक प्रश्न अनुच्छेद परिज्ञान के संबंध में भी होगा।

प्रश्न-पत्र—2 : टिप्पण व आखले तथा कार्यालय पद्धति : यह प्रश्न-पत्र सचिवालय में कार्यालय पद्धति के संबंध में अभ्यर्थी के ज्ञान तथा सामान्यतः टिप्पण और आलेखन लिखने एवं समझने में अभ्यथ की योग्यता की जांच के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा।

8. योग्यता सूची—(1) नियुक्ति प्राधिकारी परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए किसी परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक का निर्धारण कर सकेगा।

(2) योग्यता सूची अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए किए जाने वाले आरक्षण संबंधी आदेशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के आधार पर भरी

जाने वाली रिक्तियों की संख्या तक परीक्षा परिणामों के आधार पर स्थापित योग्यता के क्रमानुसार तैयार की जाएगी।

9. चयन सूची :—

(1) उच्च श्रेणी लिपिकों के पद के लिए नियुक्ति की चयन सूची :—

(क) अवर श्रेणी ग्रेड में विद्यमान तथा प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए उन कार्मिकों में से 3 : 1 के अनुपात में तैयार की जाएगी जिन्होंने उस ग्रेड में 8 वर्षों से अन्यून नियमित सेवा पूरी कर ली है और उस ग्रेड में वरिष्ठता की परिधि में आते हैं।

(ख) चौथी रिक्ति उस कर्मचारी को जाएगी, जिसका नाम विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सम्बद्ध नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए उपयुक्त घोषित किए जाने के अध्यधीन विनियम 8 के अन्तर्गत तैयार की गई योग्यता सूची में आया है।

(2) उपर्युक्त दो संवर्गों के व्यक्तियों में से संवर्ग (क) से तीन व्यक्तियों तथा संवर्ग (ख) से एक व्यक्ति को अनुकल्पिक रूप में तथा आगे इसी तरह के क्रम में चयन सूची में शामिल किया जाएगा।

(3) चयन सूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सम्बद्ध नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति तैयार करेगी।

(4) परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों की परस्पर क्रम स्थापना, उनकी परस्पर वरिष्ठता के क्रम में होगी तथा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने पूर्व में ली गई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, वरिष्ठता के क्रम में बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों से सामूहिक रूप से आगे रखा जायेगा। ऐसी रिक्तियों को जिन्हें ऐसी पदोन्नति के लिए किसी वर्ष में अर्ह निम्न श्रेणी लिपिकों के अभाव के कारण नहीं भरा जा सका हो, परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

[सं० ए-35011/13/96-प्रशा०]
ए० मेमुअल, अवर सचिव (प्रशा०)

New Delhi, the 2nd December, 1997

G.S.R. 395.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in pursuance of the entry under column 13 against serial number 31 in Schedule I of the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1976 the President, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the President's Secretariat Upper Division Clerks (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires.

(a) "crucial date" means the 1st day of January of the calendar year in which the examination is notified to be held;

(b) "examination" means a qualifying limited departmental competitive examination held by the appointing authority or any authority authorised by him in this behalf.

(2) All other words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1976 shall have the meanings respectively assigned to them in those rules.

3. Holding of examination :—

(1) The examination shall be conducted by the appointing authority for Upper Division Clerks in the President's Secretariat or any authority authorised by him in this behalf.

(2) The examination shall be held once in a financial year to fill up the vacancies occurring in that financial year.

(3) The date(s), time and venue of the examination shall be fixed by the appointing authority.

4. Conditions of eligibility for appearing in the examination :—

(1) Permanent or regularly appointing Lower Division Clerks who have rendered not less than 5 years regular qualifying service on the crucial date are eligible to appear in the examination.

(2) Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall also be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

(3) Any Lower Division Clerk who has been appointed to an ex-cadre post or to any other Service on transfer basis and does not have a lien in the Lower Division Grade of the President's Secretariat shall not be eligible to appear in the examination.

5. Age.—No Lower Division Clerk who is of more than 50 years of age as on the crucial date shall be eligible to appear in the examination.

6. (1) The examination shall be conducted according to the following plan ;—

Part 1 : Written examination carrying a maximum of 300 marks in subjects as shown in sub-regulation (2).

Part 2 : Evaluation of record of service of such of the candidate who attain at the written examination, a minimum qualifying standard as may be fixed by the appointing authority having regard to the number of vacancies shall be done by the Departmental Promotion Committee. The maximum marks for the record of service shall be 100.

(2) The subject of the written examination the miximum marks allotted to each paper and the time allowed shall be as follows :—

Subject (1)	Maximum Marks (2)	Time (3)
Paper-I :(Objective Type) (a) General Awareness 100 questions (b) Comprehension and written ability of English Language 100 questions	200	2 hours
Paper-II Noting, Drafting and Office Procedure	100	2 hours

Paper I shall be Objective-Multiple-Choice-Type whereas Paper II will be descriptive type.

(3) The syllabus for the examination shall be as given in regulation.

Note 1 : Candidate are allowed the option to answer Paper II on Noting, Drafting and Office Procedure either in English or in Hindi.

Note 2 : The option shall be for a complete paper and not for different questions in the same paper. The candidate should indicate by the stipulated date as be notified by the competent authority whether they would take the paper in Enlglish or in Hindi.

(4) Credit will be given, for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

7. The Syllabus of the Examination shall be as under.—

Paper—It (a) General Awareness.—Questions will be aimed at testing the candidates' general awareness of the environment around him and its application to the society. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of every day observations and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The test may also include questions relating to India and its neighbouring countries especially pertaining to history, culture, geography, economic scene, general polity and scientific research.

(b) Comprehension and writing ability of English Language : Questions will be designed to test the candidates' understanding and knowledge of English Language, vocabulary, spellings, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, sentence completion, phrases, idiomatic use of words, etc. There shall be a question on comprehension of a passage also.

Paper—II : Nothing and drafting and Office Procedure.—The paper on Noting and drafting and Office Procedure will be designed to test the candidates' knowledge of Office Procedure in the Secretariat and generally their ability to write and understanding notes and prepare drafts.

8. Merit List.—(1) Having regard to the approximate number of vacancies to be filled on the basis of the examination, the appointing authority may fix minimum qualifying marks in an examination.

(2) The Merit List shall be prepared on the basis of the results of the examination in the order of merit upto the number of vacancies to be filled on the basis of the examination keeping in view the orders relating to reservations to be made to persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other category of persons.

9. Select List.—(1) The Select List for appointment to the post of Upper Division Clerks shall be made keeping in view the existing and anticipated vacancies in the proportion of 3:1 from amongst :—

(a) officials of the Lower Division Grade in that cadre who have rendered not less than eight years regular service in the grade and are within the range of seniority in that grade.

(b) the fourth vacancy shall go to an official whose name appears in the merit list prepared under regulation 8 and subject to the Departmental Promotion Committee declaring him fit for promotion in accordance with the relevant rules.

(2) Persons of the above two categories being included in the Select List by taking alternately three persons from category (a) and one person from category (b) and so on, in that order.

(3) The Select List shall be prepared by the Departmental Promotion Committee in accordance with the relevant rules and instructions and approved by he competent authority.

(4) The inter-se ranking of those persons who qualify in the examination shall be in the order of their inter-se-seniority and those qualifying in any earlier examination shall be ranking en-bloc senior to those who qualify in a later examination. The vacancies which could not be filled by promotion for want of Lower Division Clerks eligible for such promotion in a year shall be filled up by candidates selected on the basis of the examination.

[No. A-15011/13/96-Admn.]

A. SAMUEL, Under Secy. (Admn.)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक अनुभाग)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1997

सा०का०नि० 396 :—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी सिविल अधिकारिता के न्यायालय में वादों में अथवा रिट कार्यवाहियों में केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके विरुद्ध वाद पत्रों और लिखित कथनों पर हस्ताक्षर तथा सत्यापन करने से संबंधित भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 167, तारीख 14 फरवरी, 1990 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, "परमाणु ऊर्जा विभाग" शीर्षक के अधीन, "उच्च तकनीकि केन्द्र, इंदौर," से संबंधित उपशीर्षक (2) में, निदेशक (प्रशासन) "शब्दों के स्थान पर" मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा०सं० 16(2)/96-न्यायिक]

वी०के० झा, अपर विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

New Delhi, the 7th November, 1997

G.S.R. 396.—In exercise of the powers conferred by rule 1 of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs number G.S.R. 167, dated the 14th February, 1990, relating to the signing and verification of plaints and written statements in suits in any court of civil jurisdiction, or in writ proceedings by or against the Central Government, namely :—

In the SCHEDULE to the said notification, under the heading "VII Department of Atomic Energy", in sub-heading (11) relating to "Centre for Advanced Tec7hnology, Indore",

for the words "Director (Administration)", the words "Chief Administrative and Accounts Officer" shall be substituted.

[F. No. 16(2)/96-Judl.]

V. K. JHA, Addl. Legal Adviser

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1997

सा०का०नि० 397 :—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं अर्थात् :—

कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री कुमारन श्रीधरन, जिन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/- रु० (केवल दस हजार रु०) प्रतिमाह या वेतन का 10% इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं० के-11017/10/96-यू०एस०-II]

श्रीमती वीना बत्रा, निदेशक (न्याय)

(Department of Justice)

New Delhi, the 10th November, 1997

G.S.R. 397.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Kumaran Sreedharan, Chief Justice of the Gujarat High Court, who has been transferred from the Punjab and Haryana High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensum, or 10 per cent of salary, whichever is more, for the period of his service as Chief Justice of the Gujarat High Court.

[No. K-11017/10/96-US-II]

Smt. VEENA BRAHMA, Director (Justice)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1997

सा०का०नि०. 398 :—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं अर्थात् :—

कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री प्रभाशंकर मिश्र जिन्हें आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/- रु० (केवल दो हजार रु०) प्रतिमाह या वेतन का 10% इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं० के०-11017/10/96-यू०एस०-II]

श्रीमती वीना ब्रह्मा, निदेशक (न्याय)

New Delhi, the 10th November, 1997

G.S.R. 398.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Prabha Shanker Mishra, Chief Justice of the Calcutta High Court, who has been transferred from the Andhra Pradesh High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensum, or 10% of salary whichever is more, for the period of his service as Chief Justice of the Calcutta High Court.

[No. K-11017/10/96-US. II]

Smt. VEENA BRAHMA, Director, (Justice)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1997

सा०का०नि०. 399 :—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं अर्थात् :—

कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सुजीत बर्मनराय, जिन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/-रु० (केवल दो हजार रु०) प्रतिमाह या वेतन का 10% इनमें से जो अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं० के०-11017/10/96-यू०एस०-II]

श्रीमती वीना ब्रह्मा, निदेशक (न्याय)

New Delhi, the 10th November, 1997

G.S.R. 399.—In pursuance of clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Sujit Barman Roy, Judge of the Calcutta High Court, who has been transferred from the Gauhati High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousands per mensum, or 10% of salary, whichever is more, for the period of his service as a Judge of the Calcutta High Court.

[No. K-11017/10/96-US-II

Smt. VEENA BRAHMA, Director (Justice)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1997

सा०का०नि०. 400 :—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं अर्थात् :—

कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री बशीर अहमद खान, जिन्हें जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/- रु० (केवल दो हजार रु०) प्रति माह या वेतन का 10% इनमें जो अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं० के-11017/10/96-यू०एस० II]

श्रीमती वीना ब्रह्मा, निदेशक (न्याय)

New Delhi, the 10th November, 1997

G.S.R. 44.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely .—

That Shri Justice Bashir Ahmed Khan, Judge of the Madhya Pradesh High Court, who has been transferred from the Jammu and Kashmir High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensum or 10% of salary, whichever is more, for the period of his service as a Judge of the Madhya Pradesh High Court.

[No. K-11017/10/96-US-II

Smt. VEENA BRAHMA, Director (Justice)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1997

सा०का०नि० . 401 :—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं अर्थात् :—

कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अशोक भान, जिन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/-रु० (केवल दो हजार रु०) प्रति माह या वेतन का 10%, इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं० के०-11017/10/96-यू०एस० II]
श्रीमती वीना ब्रह्मा, निदेशक (न्याय)

New Delhi, the 10th November, 1997

G.S.R. 401.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Ashok Bhan, Judge of the Karnataka High Court, who has been transferred from the Punjab and Haryana High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensum, or 10% of salary, whichever is more, for the period of his service as a Judge of the Karnataka High Court.

[No. K-11017/10/96-US-III
Smt. VEENA BRAHMA, Director (Justice)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1997

सा०का०नि० . 402 :—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं :—

कि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री बिलाल नाज़की, जिन्हें जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है आन्ध्र प्रदेश न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/-रु० (केवल दो हजार रु०) प्रति माह या वेतन का 10% इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं० के०-11017/10/96-यू०एस० II]
श्रीमती वीना ब्रह्मा, निदेशक (न्याय)

New Delhi, the 10th November, 1997

G.S.R.—402.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Bilal Nazki, Judge of the Andhra Pradesh High Court, who has been transferred from the Jammu and Kashmir High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensum, or 10% of salary, whichever is more, for the period of his service as a Judge of the Andhra Pradesh High Court.

[No. 11017/10/96-US-III
Smt. VEENA BRAHMA, Director (Justice)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1997

सा०का०नि० . 403 :—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं अर्थात् :—

कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री नरेशचन्द्र जैन, जिन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2000/-रु० (केवल दो हजार रु०) प्रतिमाह या वेतन का 10% इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं० के०-11017/10/96-यू०एस० II]
श्रीमती वीना ब्रह्मा, निदेशक (न्याय)

New Delhi, the 10th November, 1997

G.S.R. 403.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Naresh Chander Jain, Judge of the Gauhati High Court, who has been transferred from the Punjab and Haryana High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a Compensatory allowance at the rate of Rs. 2000/- (Rupees two thousand) per mensum, of 10% of salary, whichever is more, for the period of his service as a Judge of the Gauhati High Court.

[No. K-11017/10/96-US-III
Smt. VEENA BRAHMA, Director (Justice)

श्रम मंत्रालय

(नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1997

सा.का.नि404.—केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, शिक्षुता नियम, 1991 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1991 में, नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8. शिक्षुता के पर्यवसान के लिए प्रतिकर.—यदि शिक्षुता, संविदा के निबंधनों और शर्तों का पालन करने में नियोजक की असफलता के कारण पर्यवसित कर दी जाती है तो नियोजक शिक्षु को उसके द्वारा ली गई अन्तिम तीन मास की वृत्तिका के बराबर रकम के संदाय का दायी होगा।"

[फा. सं. डीजीईटी 23/7/95-एपी]

कृष्णा शर्मा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 356 ता. 1-8-92 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.नि. 2144 ता. 9-10-93, सा.का.नि. 497 ता. 9-10-93, का.नि. 1041 ता. 30-4-94, सा.का.नि. 432 ता. 20-8-94, सा.का.नि. 239 (अ) ता. 23-3-95, सा.का.नि. 433 (अ) ता. 10-5-95, सा.का.नि. 806(अ) ता. 26-12-95, सा.का.नि. 345(अ) ता. 31-7-96, सा.का.नि. 390 ता. 14-9-96, सा.का.नि. 494 ता. 9-11-96, का.नि. 3159 ता. 9-11-96, सा.का.नि. 496 ता. 9-11-96, सा.का.नि. 521 ता. 16-11-96, सा.का.नि. 560 (अ) ता. 10-12-96, का.नि. 561 (अ) ता. 10-12-96 का.नि. 860 (अ) ता. 10-12-96, सा.का.नि. 269 ता. 21-6-97, सा.का.नि. 1617 ता. 21-6-97 सा.का.नि. 293 ता. 15-9-97, सा.का.नि. 349 ता. 4-10-97 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR

(Directorate General of Employment Training)

New Delhi, the 25th November, 1997

G.S.R. 404.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), and after consulting the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1991, namely :—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Apprenticeship Rules, 1991, for Rule 8, the following rule shall be substituted, namely :—

"8. COMPENSATION FOR TERMINATION OF APPRENTICESHIP.—Where the contract of apprenticeship is terminated through failure on the part of any employer in carrying out the terms and conditions thereof, such employer shall be liable to pay the apprentice compensation of an amount equivalent to his three months last drawn stipend."

[F. No. DGET/23/(7)195-AP/

KRISHNA SHARMA, Under Secy.

Footnote :—The Principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 356, dated 1-8-1992 and subsequently amended by :—

S.O. 2144, dated 9-10-1993, GSR 497, dated 9-10-1993, S.O. 1041, dated 30-4-1994, GSR 432, dated 20-8-1994, GSR 239(E), dated 23-3-1995, GSR 433(E), dated 10-5-1995, GSR 806 (E), dated 26-12-95, GSR 345(E), dated 31-7-1996, GSR 390, dated 14-9-1996, GSR 2650, dated 14-9-1996, GSR 494, dated 9-11-1996, S.O. 3159, dated 9-11-1996, GSR 496, dated 9-11-1996, GSR 521, dated 16-11-1996, GSR 560(E), dated 10-12-1996, GSR 561(E), dated, 10-12-1996, S. O. 860(E), dated 10-12-1996, GSR 369, dated 21-6-1997, S.O. 1617, dated 21-6-1997, GSR 293, dated 10-7-1997, S.O. 2223, dated 22-8-1997, GSR 338, dated 15-9-1997, GSR 349, dated 4-10-1997.

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1997

सा०का०नि० 405.—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1997 कहा जाए,

(2) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जब इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में, पैराग्राफ 72 में उप पैराग्राफ (6) के बाद निम्नलिखित उप-पैराग्राफ अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7) अपेक्षित दस्तावेजों सहित सब तरह से पूर्ण प्रस्तुत किए गए दावों का निस्तारण और लाभानुभोगी को लाभ की राशि का भुगतान आयुक्त द्वारा उक्त दावे की प्राप्त की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि दावे में कोई कमी रहती है, तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचित कर दिया जाएगा। यदि आयुक्त 3 दिनों के भीतर सब तरह से पूर्ण किसी दावे का पर्याप्त कारणों के बिना निस्तारण नहीं कर पाता तो आयुक्त को उक्त अवधि से आगे की अवधि के लिए विलम्ब किए जाने के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकेगा और 12% प्रतिवर्ष की

दर से दण्डात्मक ब्याज लाभ राशि पर प्रभारित किया जा सकता है और उसकी कटौती आयुक्त के वेतन से की जा सकती है।"

[फाइल संख्या एच-11016/24/97-एसएस-II]
जे० पी० शुक्ला, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 को सा०का०आ० सं. 1509 के रूप में भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3(i) में दिनांक 2 सितम्बर, 1952 को प्रकाशित किया गया था और योजना के पैराग्राफ 72 में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा बाद में संशोधन किया गया था :—

(i) सा०का०नि० 1415 दिनांक 24-9-1964
(ii) सा०का०नि० 1707 दिनांक 17-11-1965
(iii) सा०का०नि० 473 दिनांक 14-3-1977
(iv) सा०का०नि० 141 दिनांक 28-1-1982
(v) सा०का०नि० 449 दिनांक 31-5-1983
(vi) सा०का०नि० 188 दिनांक 2-2-1985
(vii) सा०का०नि० 832 दिनांक 23-10-1987
(viii) सा०का० नि० 421 दिनांक 12-5-1988
(ix) सा०का०नि० 221 दिनांक 15-3-1990
(x) सा०का०नि० 521 दिनांक 16-8-1991

New Delhi, the 26th August, 1997

G.S.R. 405.—In exercse of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend Employees Provident Fund Scheme, 1952 namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees Provident Funds (Amendment) Scheme, 1997;

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 72 after sub-paragraph (6), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

"(7) The claims, complete in all respects submitted along with the requisite documents shall be settled and benefit amount paid to the beneficiaries within 30 days from the date of its receipt by the Commissioner. If there is any deficiency in the claim, the same shall be recorded in writing and communicated to the applicant within 30 days from the date of receipt of such application. In case the commissioner fails without sufficient cause to settle a claim complete in all respects within 30 days, the Commissioner shall be liable for the delay beyond the said period and penal interest at the rate of 12 per cent per annum may be charged on the benefit amount and the same may be deducted from the salary of the Commissioner".

[File No. H-11016|24|97-SS.II]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

FOOT NOTE :—The Employees' Provident Fund Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i), dated the 2nd September, 1952 as SRO No. 1509 and paragraph 72 of the Scheme was subsequently amended by the following notification :—

(i) GSR 1415 dated 24th September, 1964.
(ii) GSR 1707 dated 17th November, 1965.
(iii) GSR 473 dated 14th March, 1977.
(iv) GSR 141 dated 28th January, 1982.
(v) GSR 449 dated 31st May, 1983.
(vi) GSR 188 dated 2nd February, 1985.
(vii) GSR 832 dated 23rd October, 1987.
(viii) GSR 421 dated 12th May, 1988.
(ix) GSR 221 dated 15th March, 1990.
(x) GSR 521, dated 16th August, 1991.

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1997

सा०का०नि० 406:—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (19 का 1952) की धारा 7 की उप-धारा (i) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि (द्वितीय संशोधन) योजना, 1997 कहा जाएगा।

(2) इसे 22 सितम्बर, 1997 से प्रवर्तन में माना जाएगा।

2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में :—

(i) पैराग्राफ 5 में उप-पैराग्राफ (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(4) नियोजकों अथवा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिकतम दो अवधियों के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र होगा"

बशर्ते कि वह सदस्य जिसने केन्द्रीय बोर्ड में दो अथवा इससे अधिक अवधियां पहले पूरी कर ली हैं इस योजना के उपबन्धों के अधीन अपनी वर्तमान अवधि को पूरा कर सकता है।

(ii) पैराग्राफ 29 में "8½ प्रतिशत" और "दस प्रतिशत" शब्दों और आंकड़ों, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, क्रमशः "दस प्रतिशत" और "बारह प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) पैराग्राफ 79ग में उप-पैराग्राफ (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5) एक न्यासी की कार्यावधि चुनाव अथवा नामांकन की तारीख से पांच वर्ष होगी। नियोजक अथवा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति अधिकतम दो अवधियों के लिए न्यासी बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा"

बशर्ते कि वह सदस्य जिसने बोर्ड में दो अथवा इससे अधिक अवधियां पहले ही पूरी कर ली हैं इस योजना के उपबन्धों के अधीन अपनी वर्तमान अवधि को पूरा कर सकता है।

यह भी बशर्ते कि नैमित्तिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अथवा नामांकित न्यासी जिस न्यासी के स्थान पर वह निर्वाचित अथवा नामित किया जाता है, की बकाया अवधि के लिए पद पर बना रहेगा।

[फा०सं० बी-20012/3/97-एस०एस०-II)]

जे० पी० शुक्ला, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन :—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) अध्यादेश द्वारा 22-9-97 से भविष्य निधि अंशदान की दर में वृद्धि की गई है। 22-9-97 की भूतलक्षी तारीख से कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के वर्तमान संशोधन से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी :—क०भ०नि० योजना, 1952 को दिनांक 2 सितम्बर, 1952 के भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3(i) में एस०आर०ओ० सं० 1509 के तहत प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा पैराग्राफ 5 को संशोधित किया गया था :—

1. सा०का०नि० 1298, दिनांक 27-9-1972
2. सा०का०नि० 690(अ०), दिनांक 30-6-1989

(2) तत्पश्चात् पैराग्राफ 29 को निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधित किया गया था :—

1. एस०आर०ओ० 2387, दिनांक 13-7-1957
2. सा०का०नि० 201, दिनांक 8-2-1961
3. सा०का०नि० 1758, दिनांक 15-12-1962
4. सा०का०नि० 690(अ०), दिनांक 30-6-1989

(3) पैराग्राफ 79ग दिनांक 9 जुलाई, 1992 को सा०का०नि० 341 द्वारा योजना में अन्तःस्थापित किया गया था। पैराग्राफ 79ग में यह प्रथम संशोधन है।

New Delhi, the 27th October, 1997

G.S.R. 406.—In exercise of the powers conferred by Section 5, read with sub-section (i) of Section 7, of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Second Amendment) Scheme, 1997.

(2) It shall be deemed to have come into force from the 22nd September, 1997.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 :—

(i) In paragraph 5 for sub-paragraph (4) the following sub-paragraph shall be substituted namely :—

"(4) A person representing employers or employees shall be eligible for appointment as a member of the Central Board for a maximum of not more than two terms;

Provided that a member who has already completed two or more terms on the Central Board may continue his present term subject to the provisions of the Scheme.

(ii) In paragraph 29 for the words and figures "8½ per cent" and "ten per cent" wherever they occur, the words "ten per cent" and "twelve per cent" shall respectively be substituted.

(iii) In paragraph 79 C for sub-paragraph (5) the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(5) The term of office of a Trustee shall be five years from the date of election or nomination. A person representing employer or employees shall be eligible for appointment as a member of the Board of Trustees for a maximum of not more than two terms;

Provided that a member who has already completed two or more terms on the Board may continue his present term subject to the provisions of the Scheme.

Provided further that a Trustee elected or nominated to fill the casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of the Trustees in whose place the is elected or nominated."

[F. No. V-20012/3/97-SS.II]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

Explanatory Memorandum :—The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions (Amendment) Ordinance increased the rate of the Provident Fund Contribution w.e.f. 22-9-97. The present amendment of the EPF Scheme, 1952 with retrospective effect from 22-9-97 will not effect interst of anybody adversely.

Foot Note :—The EPF Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Part-II, Section 3(i) vide SRO No. 1509, dated the 2nd September, 1952. Paragraphs 5 was subsequently amended vide notifications mentioned below :—

1. GSR 1298, dated 27-9-1972
2. GSR 690(E), dated 30-6-1989.

(2) Paragraph 29 was subsequently amended vide notifications mentioned below :—

1. S.R.O. 2387, dated 13-7-1957
2. G.S.R. 201, dated 8-2-1961
3. G.S.R. 1758, dated 15-12-1962
4. G.S.R. 690(E), dated 30-6-1989

(3) Paragraph 79 C was inserted in the Column vide GSR 1341 dated the 9th July, 1992. This is first amendment in paragraph 79 C.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1997